प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांकः- 25.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरणः

- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 283/25 धारा 70(2)/103(1)/238(1) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त करन भदौरिया पुत्र लाल सिंह निवासी मैथा गारव थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0-282/25 धारा 62(2)/333/351(3) बीएनएस व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त यश कुमार पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम बैरी बस्ता थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रनियां पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजकिशोर पुत्र प्रेमनारायन उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम रायपुर कुकहट थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर आने-जाने वाली लड़कियों/महिलाओं को देखकर अश्लील गाना गाने व अश्लील हरकते करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 166/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामकुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम जाजपुर थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर द्वारा सार्वजनिक स्थान शनिदेव मन्दिर के पास सड़क किनारे खडे होकर आने-जाने वाली महिलाओ/लडकियो को देखकर अश्लील हरकते करते हुए, अश्लील गाना गाना जिससे महिलाओ/लडकियों को शर्मिंदगी महसूस होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 74/2025 धारा 296 भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम सिंह पुत्र गोविन्द सिंह निवासी ग्राम डौडियापुर थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा वादिनी से गंदे इशारे करना व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मु0अ0स0 75/25 धारा 296/351(2)/352 भारतीय न्याय संहिता 2023 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियो, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियो, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियो, थाना शिवली पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया गया।